विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम-बुधवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, माननीय सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
1(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय का स्वरूप बदल गया है जिस कारण अब शिक्षित नवयुवकों को सरकारी रोजगार के बजाय प्राइवेट/अस्थायी रूप से कुछ महीनों के लिये कार्य पर श्रम एवं सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रखवाया जा रहा है?	सेवायोजन विभाग द्वारा प्रदेश में बेरोजगारों हेतु रोजगार मेलों के आयोजन, विदेशों में रोजगार, सेवामित्र व्यवस्था, कैरियर काउन्सिलिंग, आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में बेरोजगार अभ्यर्थियों को देश/प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, साथ ही अभ्यर्थियों को विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। सेवामित्र व्यवस्था के अन्तर्गत कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथा कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता शिक्षण प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जा रही है।
(ख)क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	विभाग द्वारा संचालित योजनायें ऊपर उल्लिखित हैं।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

अनिल राजभर
मंत्री,
श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0।